संख्या–1065 / 43–2–2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 25 अगस्त, 2010**

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षानुसार अभिलेखों को अद्यतन किया जाना और उनका समुचित रखरखाव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या–503 / 43–2–2008, दिनांक 21 मई, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त शासनादेश के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (क) के प्राविधानों के अनुसार सभी लोक प्राधिकारियों को अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिकाबद्व करने तथा ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित हैं, को युक्ति युक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर नेटवर्क के माध्यम से ऐसे अभिलेखों तक पहुँच को सुगम बनाने तथा सतत प्रकिया के अन्तर्गत अभिलेखों का रख रखाव एवं अद्यतन किये जाने, आधार भूत संरचना में सुधार कर आवश्यक मैनुअल तैयार करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

3– राज्य सूचना आयोग द्वारा करन सिंह जहारिया की ओर से प्रस्तुत वाद शिकायत संख्या–एस–7–1600 / सी / 2009 में यह आदेश पारित किये गये है कि ऐसे अभिलेखों / दस्तावेजों / पत्रावलियों के रखरखाव और उनको वैज्ञानिक व व्यवस्थित ढंग से संकलित करने के वारे में तत्काल आवश्यक कदम उठाया जाय। स्वतंत्रता संग्राम से जुडे हुए सभी प्रसंगों एवं घटनाओं के अभिलेख जहां कहीं भी उपलब्ध हों उनकी समुचित ढंग से संरक्षा की जाय।

2

क्रमशः.....2